न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 288/2024

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पो.
1- पवनकुमार पुत्र लादूचन्द 2- प्रवीणकुमार पुत्र लादूचन्द जाति महाजन, निवासीगण बावडी, तहसील बावडी, जिला जोधपुर		1. महावीरचन्द पुत्र जतनमल डाकलिया बहैसियत खुद व बहैसियत आम–मुख्त्यार सहखातेदार 2. किशनमल पुत्र जतनमल डाकलिया 3. प्रेमचन्द पुत्र जतनमल डाकलिया 4. हीराचन्द पुत्र जतनमल डाकलिया 5. सुरेशचन्द पुत्र जतनमल डाकलिया सभी जाति जैन (ओसवाल) निवासीगण वेदों का बास, महामन्दिर, जोधपुर 6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बावडी जिला जोधपुर 7. पटवारी बावडी चक प्रथम, तहसील बावडी जिला जोधपुर 8. नवनारायण शर्मा पुत्र गणपतलाल शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी रामेश्वर नगर, बासनी, जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
बरखिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी दिनांक
05 जुलाई 2024 प्रकरण संख्या 131/2024 अनवान
महावीरचन्द व अन्य बनाम पवनकुमार आदि

उपस्थित–

श्री उम्मेदसिंह बांवरला, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री माणकराम माली, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 5

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

श्री एच.के.दाधीच, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 8

नि र्ण य

दिनांक : 18 दिसम्बर, 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बावडी द्वारा प्रकरण संख्या 131/2024 महावीरचन्द व अन्य बनाम पवनकुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 05 जुलाई 2024 के खिलाफ राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 5 की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर ग्राम बावडी चक प्रथम के खसरा संख्या 1601 की भूमि की तरमीम पूर्ववर्त राजस्व नक्शे व ट्रेस नक्शे के अनुसार की जाकर वर्तमान जारी ट्रेस नक्शे में शुद्धि किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जुलाई 2024 को स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि आराजी खसरा संख्या 1601/2 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा मौजा बावडी चक प्रथम अपीलाण्ट्स की जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 19 मई 1986 की खरीदसुदा कब्जे काश्त की भूमि है। अपीलाण्ट्स की उक्त खातेदारी भूमि के उत्तर एवं दक्षिण दिशा में दीवार बनी हुई है तथा पूर्व दिशा की तरफ धोरा लगा हुआ है। मगर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 5 ने अपने प्रार्थनापत्र में निर्माण की इस स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रार्थीगण–रेस्पो. जबरन अपनी 2 बीघा 04 बिस्वा भूमि अपीलाण्ट को देकर बदले में अपीलाण्ट्स की खसरा संख्या 1601/2 की 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि हडपना चाहते है। तरमीम के संबंध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि तरमीम आदेश से किसी प्रकार से असन्तुष्ट पक्षकार अपील करने हेतु स्वतन्त्र है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

किया कि मामले में तहसीलदार बावडी द्वारा जो रिपोर्ट पेश हुई, उसके संबंध में अपीलाण्ट्स द्वारा पेश की गयी आपत्ति दिनांक 24 नवम्बर 2020 को स्वीकार की जाकर पुनः नये सिरे से रिपोर्ट तलब करते हुए आगामी पेशी 29 दिसम्बर 2020 मुकर्रर की गयी, 29 दिसम्बर 2020 को तारीख तब्दील करते हुए आयन्दा पेशी 15 जनवरी 2021 रखी गयी, मगर दिनांक 20 जुलाई 2021 तक मिसल पेश नहीं हुई एवं फिर मिसल पेशी पर ली गयी, अन्ततः दिनांक 12 अक्तूबर 2021 को दुबारा रिपोर्ट पेश हुई, जिस पर विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता ने आपत्ति पेश की, मगर आपत्ति का निस्तारण किये बिना ही विचारण न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थनापत्र बाबत आदेश दिनांक 01 अप्रेल 2022 पारित कर दिया गया। जिसके खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 174/2022 जरिये आदेश दिनांक 26 जुलाई 2022 को खारिज कर दी गयी मगर उक्त आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील संख्या 4758/2022 माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 12 जून 2023 को आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को आदेश 39 नियम 7 सीपीसी के तहत मौका कमिश्नर तहसीलदार से पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार रिपोर्ट प्राप्त की जाकर विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल के उक्त निर्देशो के अनुसरण में तहसीलदार बावडी द्वारा दिनांक 14 अक्तूबर 2023 को फर्द मौका तैयार कर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, विचारण न्यायालय अपीलाधीन आदेश पारित करते समय विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट बाबत कोई विचार नहीं किया गया और रेस्पो. संख्या 1 से 5 के पक्ष में निष्पादित बेचाननामा को आधार मानते हुए रेस्पो. की सुविधानुसार दोनों खसरान को शामिल करने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि रेस्पो. की खातेदारी भूमि मौजा बावडी चक प्रथम में खसरा संख्या 1601 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा आयी हुई है। राजस्व नक्शे में उक्त वर्णित खसरा संख्या 1601 के पूर्व की तरफ जोधपुर–नागौर नेशनल हाइवे स्थित है तथा पश्चिम की तरफ कटाण रास्ता और उसके आगे रेस्पो.

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

–प्रार्थीगण की ही खातेदारी भूमि खसरा संख्या 740 मौजा बावडी चक द्वितीय की भूमि स्थित है। इसी स्थिति के अनुरूप ही रेस्पो.–प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1601 की तरमीम हुई और मौके पर इसी अनुसार रेस्पो.–प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। अंतिम बार प्रार्थीगण–रेस्पो. द्वारा दिनांक 10 जून 2019 को सत्यापित नक्शा ट्रेस की ली गयी प्रतिलिपि एवं पूर्व में प्राप्त की गयी प्रतिलिपियों में सही तरमीम बदस्तूर दर्शायी गयी है, मगर कालान्तर में अपीलाण्ट्स ने मौके पर आकर नया नक्शा ट्रेस की प्रति दिखाते हुए खसरा संख्या 1601 की भूमि स्वयं की होना बताया। तब प्रार्थीगण–रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अधिवक्ता–रेस्पो. ने जाहिर किया कि जिस पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेस्पो. संख्या खसरा संख्या 1601 की भूमि क्रय की गयी, उसके पेज संख्या 3 पर भूमि के अंकित अनुसार खसरा संख्या 1601 की भूमि जोधपुर–नागौर रोड से चिपती हुई भूमि है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मतः निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार प्रार्थीगण–रेस्पो. संख्या 1 से 5 द्वारा आराजी खसरा संख्या 1601 एवं खसरा संख्या 740 एक ही पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये खरीद किये गये है और उक्त पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 8 अगस्त 1994 में पेज संख्या 3 पर उक्त भूमि गांव से 1) कि.मी. व जोधपुर नागौर रोड के चिपती हुई होना अंकित किया हुआ है। उक्त दर्शित स्थिति के खण्डन में अपीलाण्ट्स की ओर से विचारण न्यायालय अथवा अदालत हाजा के समक्ष कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जुलाई 2024 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है जो तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जुलाई 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18 दिसम्बर 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर